अनुसूची 21—फार्म सं. 113

5298

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं. 15506 dt- 14/12/19

श्री/श्रीमती Rukhsar khanam w/o Kausar KHan

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में विभिन्न सम्व्यवहारों और अन्तरणों का प्रतिसंहरण प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले सम्व्यवहारों और अन्तरणों के बारे में यहाँ में और उससे सम्बद्ध अनुलग्नकों में सन् 2006 to till dt से सन् 19..... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद जिन सम्व्यवहारों और अन्तरणों का पता चला As per index II है वह संपत्ति अवभार से मुक्त है।

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और पृष्ठ	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्राप्ति के प्र० विदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	सफा	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza - Ruslampur Shahpur @ Sikandarpur
Thana No - 17
Tauzi No - 5855
Khata No - 57
S. Plot No - 91 (Part)
P.S. - Danapur
Area - 7.5 katha

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। (यदि वह उसके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): V.D.C

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14/12/19

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों की निर्बाधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्कंबेरेन्सेस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुकूलार्थियों (इन्डेनर) की प्रतिलिपि देखना चाहते हों अथवा उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जानकारी उन्हें स्वयमेव स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर संबंधित और अनुकूलार्थियों उनके पास मामले रखवाये जायेंगे।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और इसके बाद दिये गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दिये गये उक्त संव्यवहारों और अवभारों की भूल के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 4214 दिनांक 18/12/19

आवेदक श्री Rukhsar Khanam w/o Kausar Khan

का ज्ञापन प्रमाण पत्र द्वारा Canara Bank, Raza Bazar, Patna

का उसके पत्र संख्या 13/12/19 दिनांक ——— के प्रसंग में आपसूचित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

14/12/19

SPL-4(0)99-2.00,000

अनुसूची 21 फार्म सं० 113

5301

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 15509 dt 14/12/19

श्री/श्रीमती Rukhsar Khanam w/o Kausar Khanam & ors.

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संस्थाओं और अभिकर्ताओं को अवभार प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संस्थाओं और अभिकर्ताओं के बहीं में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकाओं में सं० 2006 to Till dt से सं० 19..... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संस्थाओं और अभिकर्ताओं का पाया गया। As per index II

अतः ये अतः सम्पत्ति अवभार से मुक्त है/

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और सूचना	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पृष्ठ	सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza – Rustampur shahpur @ Sikandarpur P.S. – Danapur Thana No – 17 Tauzi No – 5855 Khata No – 57 S.Plot No – 91 (Part) Area – 7.5 decimal. Distt – Patna.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। चलों को उनके आगे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ इस संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम) U.D.C

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailesh

(पदनाम): UDC

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14/12/19

सहर निबंधन कार्यालय दानापुर (बिहार)

14/12/19

मुहर पत्र निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५८ के अधीन जो व्यक्ति (पार्टी) और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) की प्रतिलिपि देखना चाहते हों अथवा उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें आवेदन स्वयं करनी होगी। निर्धारित फॉर्म का भण्डार करने पर पार्टियों और अनुक्रमणिकायें उनके पास सामने रखकर जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चौक तारीख बाद हुई गयी संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों को कार्य के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

हाल संख्या 4217 दिनांक 18/12/19

आवेदक श्री Rukhsar Khanam w/o Kausar Khanam

का सहपत्र प्रमाण पत्र द्वारा PNB, Hazipur (Vaishali)

का उसके पत्र संख्या —— दिनांक 13/12/19 के प्रसंग में अवगत की जाती है।

निबंधक

14/12/19

SPL-660/99-2.00,000

अनुसूची 21—फार्म सं० 113

5299

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 15507 dt 14/12/2019

श्री/श्रीमती Rukhsana Khanam w/o Kausar Khan.

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संख्यावाही और अवभारों का समेकित प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संख्यावाही और अवभारों के बारे में वही मैं और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में सं० 2006 to Till date से सं० 19..... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यावाही और अवभारों का पता चला As per index II संपत्ति अवभार से मुक्त है/

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	बही	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mauza - Rustampur Shahpur @ Sikandarpur

P.S. - Danapur

Thana No - 17

Tauzi No - 5855

Khata No - 57

S.Plot No - 91 (Part)

Area - 7.5 Katha.

Distt - Patna

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। शर्तें जो उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संभारबंधों और अवभारों को छोड़ इस संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संभारबंधन और अवभार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): V.D.C

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Danapur

तारीख: 14/12/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 14/12/19

टिप्पणी:–इस प्रमाण-पत्र में जो संभारबंधन और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्वाधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संभारबंधन (इन्कंबरेन्सेस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–45 के अधीन जो व्यक्ति (दायगे) और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उसमें प्रविष्टियाँ लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास, मांगने पर भेजदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अन्तिम तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई नयी संभारबंधों और अवभारों को छानबीन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छूटे गये एवं संभारबंधों अथवा अवभारों को भूल के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

जमा संख्या 4215 दिनांक 13/12/19

आवेदक श्री Rukhsana Khanam w/o Kausar Khan

का आशय प्रमाण-पत्र द्वारा Canara Bank, S.M.E. Raza Bazar, Pat

का उसके पत्र संख्या ——— दिनांक 13/12/19 के प्रमाण में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

14/12/19

SPL-6(999)-2.00,000